बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

(आदेश)

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूकम्प के झटके कुछ–कुछ समय के अंतराल पर आ रहें है। भूकम्प के दौरान भवन या चहारदीवारी के टूटने या गिरने से जान–माल की क्षति की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐहतियात के तौर पर ग्रीष्मावकाश को पूर्वित (Prepone) करते हुए दिनांक 13.05.2015 के प्रभाव से ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया जाय।

उक्त निर्णय के आलोक में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालयों से लेकर +2 तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश दिनांक 13.05.2015 के प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालयों को खोलने की पूर्व से निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व विद्यालय पठन–पाठन हेतु खोले जाएंगें।

ह0/–
(आर0के0 महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–6/वि09–55/2010 473 / पटना, दिनांक– 12/05/15

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

12/5/15
प्रधान सचिव।